(1)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

OA No. 77/2020(CZ)

IN THE MATTER OF:

AARYA SHRIVASTAVA ....**APPLICANT**

//VERSUS//

UNION OF INDIA & ORS. ....**RESPONDENTS**

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5

Most Respectfully Showeth:

1. That, the present matter is listed before this Hon'ble Tribunal for the submission of an action taken report by the Respondents regarding the removal of encroachment/unlawful structures at the banks of southern part of upper lake popularly known as Bhadbada Bridge, Bhopal.

2. That as per the directions of Hon'ble Tribunal in its order dated 02.12.2021, the Respondent no.5 humbly submits the details of action taken;

   i. Respondent no. 5 conducted a meeting on 23.11.2021 with all the concerned officials including District Collector, Bhopal, SDM, T.T. Nagar Vrat, Bhopal etc for shifting approximately 227 slum dwellers living near Bhadbhada. A copy of the record of the meeting is hereby annexed as **Annexure A/1.**

   ii. Further, a letter was sent to the Additional Commissioner, Lake Conservation Cell, Bhopal Municipal Corporation to nominate an officer for the survey. Taking prompt action on the same, a letter is sent to the Chief Engineer, Housing For All, Bhopal Municipal Corporation informing about

2

the nomination for the joint committee appointed for the survey of the slums dwellers living near Bhadbhada. The letter also requested the Chief Engineer to start the process of relocation of these slum dwellers as soon as possible. The copy of the letter bearing no. 252/एच.एफ.ए./2021 dated 25.11.2021 is hereby annexed as **Annexure A/2** and letter bearing no. 237/अधी.यं/न.नि.भो./2021 dated 25.11.2021 is hereby annexed as **Annexure A/3.**

iii. In compliance of the orders, a joint committee went to conduct the survey at the slums dwellers living near Bhadbhada for the rehabilitation and redevelopment for providing houses to slum dwellers under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Housing for All (Urban) Mission; however, the slum dwellers protested against the survey work and did not let the joint committee complete the survey. It was also submitted by the slum dwellers that the land relates to the wakf board. A report bearing no. 32/एच.एफ.ए./2021 dated 31.12.2021 is hereby annexed as **Annexure A/4.**

iv. On 12.01.2022 the Respondent No.5 sent a letter to the Supervising Engineer, Lake Conservation Cell, Bhopal Municipal Corporation informing the actual situation as stated above. The letter bearing no. 57/एच.एफ.ए./2022 dated 12.01.2021 is hereby annexed as **Annexure A/5.**

NOTARY BHARAT SINGH TOMAR DIST. BHOPAL M.P REG. NO MP-09/18/07/21 व(टी)2021 VALID-18/07/26 GOVT. OF M.P.

v. In the meanwhile, on 04.10.2021 Dalit Sena M.P. sent a letter to the Chief Minister, Madhya Pradesh requesting to take action against relocation of slum dwellers living near Bhadbhada. Taking cognizance on the same, the Deputy Secretary, Chief Minister of M.P. on 08.11.2021 requested the District Collector, Bhopal to take necessary actions. On 31.12.2021, the District Collector, Bhopal sent a letter to the Respondent No.5 informing them about the complaint.

vi. Further, in addition on 29.12.2021, the Dalit Sena M.P. sent a letter to the Respondent No.5 informing them that Khasra No. 262, 263, 264, 266, 26, 268, 270, 271, 297, 282, 284, 291, 293, 296, 301, 305, 306, 307, 130, 131, and 292 situated in village Kotra Sultanabad, Patwari Halka No. 40 is a private

property and requesting to not take any action on people residing on those khasra. On receiving the said letter, the Respondent No.5 sent a letter dated 20.01.2022 to the in-charge officer, Collector Office, District Bhopal, informing them that all actions are being taken in accordance with the orders of Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone passed in OA No. 77/2020. Further, the Respondent No.5 sent a letter dated 24.01.2022 to the Dalit Sena M.P. informing them about OA No.77/2020 (CZ). The letter of Dalit Sena bearing no. D.S.M.P.D.P.N.BPL0560 dated 04.10.2021 is hereby annexed as **Annexure A/6.** The letter bearing no. 18020/CMS/PUB/2021 dated 08.11.2021 is hereby annexed as **Annexure A/7.** The letter of Dalit Sena bearing no. D.S.M.P.D.P.N.BPL587 dated 29.12.2021 is hereby annexed as **Annexure A/8.** The letter bearing no. क्रमांक/5455/शिकायत/2022 dated 31.12.2021 is hereby annexed as **Annexure A/9.** The letter bearing no. 304/अ.आ.क./न.नि.भो./2022 dated 20.01.2022 is hereby annexed as **Annexure A/10.** The letter bearing no. 488/अ.यं./न.नि.भो./2022 dated 24.01.2022 is hereby annexed as **Annexure A/11.**

vii. Further it is pertinent to mention that the Respondent No.5 vide letter dated 20.01.2022 requested the Sub-Divisional Officer to provide the information with respect to ownership of Khasra No. 262, 263, 264, 266, 26, 268, 270, 271, 297, 282, 284, 291, 293, 296, 301, 305, 306, 307, 130, 131, and 292 situated in village Kotra Sultanabad, Patwari Halka No. 40. Reply of this letter is yet to be received by the Respondent No.5. The letter bearing no. 316/अ.आ.क./न.नि.भो./2022 dated 20.01.2022 is hereby annexed as **Annexure A/12.**

viii. In compliance with the issue with respect to the discharge of untreated water into the water bodies Motia Talab/Hasan Talab, the work of channelizing drains has been regularly being undertaken and the STPs have started functioning. A copy of photographs of functional STPs and Pumping are hereby collectively annexed as **Annexure A/13 (Colly.).**

NOTARY
BHARAT SINGH TOMAR
DISTT. BHOPAL M.P.
GOVT. OF M.P. (INDIA)

3. That in view of the compliance of the order of the Hon'ble Tribunal, it can safely be concluded that Respondent no. 5 is abiding by all the provisions of law and is duly taking care of all the responsibilities regarding the protection of the environment and natural resources.

PRAYER

In the aforesaid facts and circumstances of the case it is thus therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may kindly take the present action taken report on record and be pleased to pass such other and/or order further orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

PLACE: BHOPAL

DATED: 12.02.2022

RESPONDENT NO. 5

THROUGH

GUNJAN CHOWKSEY

ADVOCATE

NOTARY
BHARAT SINGH TOMAR
DISTT. BHOPAL M.P.
REG. NO
MP-09/18/02/21
(नं) 2021
VALID-18/07/26
GOVT. OF M.P. (INDIA)

(5)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

NOTARY
BHARAT SINGH TOMAR
DISTT. BHOPAL M.P
REG. NO MP-09/18/02/21
(सं)2021
VALID-18/07/26
GOVT. OF M.P. (INDIA)

OA No. 77/2020(CZ)

IN THE MATTER OF:

AARYA SHRIVASTAVA ....APPLICANT

//VERSUS//

UNION OF INDIA & ORS. ....RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Santosh Gupta S/o Lt. C.L. Gupta, aged 57 years, on behalf of Municipal Corporation, Bhopal (M.P.), do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I am the Authorised Signatory of Bhopal Municipal Corporation situated at Mata Mandir, Bhopal and as such, I am competent to swear this affidavit.

2. That the accompanying report has been drafted under my instructions and the contents of the same are true and correct. Facts stated therein are also true and correct to my knowledge and believed by me to be correct.

PLACE: BHOPAL

DATED: 12.02.2022

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Bhopal on 12.02.2022 that the facts stated in the application and contents mentioned in the paras of my affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

IDENTIFIED BY
NAME- PRATEEK PAWAR
ADDRESS- MISROD, BHOPAL
SIGNATURE-

SWORN BEFORE ME THE WITHEN NAMED
14/2/22
BHARAT SINGH TOMAR
NOTARY & ADVOCATE
BHOPAL M.P. INDIA

DEPONENT

(6)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

OA No. 77/2020(CZ)

IN THE MATTER OF:

AARYA SHRIVASTAVA ....APPLICANT

//VERSUS//

UNION OF INDIA & ORS. ....RESPONDENTS

LIST OF DOCUMENTS

S. No.	Particulars	Annexure
1.	A copy of the record of the meeting.	A/1
2.	The copy of the letter bearing no. 252/एच.एफ.ए./2021 dated 25.11.2021.	A/2
3.	The letter bearing no. 237/अधी.यं/न.नि.भो./2021 dated 25.11.2021.	A/3
4.	A report bearing no. 32/एच.एफ.ए./2021 dated 31.12.2021.	A/4
5.	The letter bearing no. 57/एच.एफ.ए./2022 dated 12.01.2021.	A/5
6.	The letter of Dalit Sena bearing no. D.S.M.P.D.P.N.BPL0560 dated 04.10.2021.	A/6
7.	The letter bearing no. 18020/CMS/PUB/2021 dated 08.11.2021.	A/7
8.	The letter of Dalit Sena bearing no. D.S.M.P.D.P.N.BPL587 dated 29.12.2021.	A/8
9.	The letter bearing no. क्रमांक/5455/शिकायत/2022 dated 31.12.2021.	A/9
10.	The letter bearing no. 314/अ.आ.क./न.नि.भो./2022 dated 20.01.2022.	A/10
11.	The letter bearing no. 488/अ.यं./न.नि.भो./2022 dated 24.01.2022.	A/11
12.	The letter bearing no. 316/अ.आ.क./न.नि.भो./2022 dated 20.01.2022.	A/12
13.	A copy of photographs of functional STPs and Pumping.	A/13 (Colly.)

PLACE: BHOPAL

DATED: 12.02.2022

THROUGH

RESPONDENT NO. 5

Gunjan

GUNJAN CHOWKSEY

ADVOCATE

मान, कलेक्टर महोदय द्वारा मान, एन.जी.टी. (सेंट्रल जोन भोपाल) में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ. ए. नं. 77/20 (CZ) मेसर्स आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध अन्य के संबंध में मीटिंग दिनांक 23/11/2021

—0—

आज दिनांक 23/11/2021 सायं 5.00 बजे कलेक्टर महोदय के कक्ष में एन.जी.टी प्रकरण क्रमांक 77/2020 (CZ) में मान, एन.जी.टी. द्वारा भदभदा के पास बड़े तालाब के किनारे स्थित लगभग 227 रहवासियों को शिफ्ट किये जाने बावत् मीटिंग आयोजित की गई. मीटिंग में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे एवं प्रकरण पर चर्चा की गई :–

1. श्री अविनाश लवानिया (आई.ए.एस) – कलेक्टर जिला भोपाल
2. श्री संजय श्रीवास्तव (एस.डी.एम) – टी.टी. नगर वृत्त
3. श्री पवन कुमार सिंह (अपर आयुक्त) – नगर निगम भोपाल
4. श्री ए.आर. पवार (प्र.मुख्य अभियंता) – हाउसिंग फॉर ऑल
5. श्री संतोष गुप्ता (अधीक्षण यंत्री) – झील संरक्षण प्रकोष्ठ
6. श्री हर्षित तिवारी (उपायुक्त) – अतिक्रमण शाखा
7. श्रीमती गुंजन चौकसे – नियुक्त अधिवक्ता BMC

Anx- A-2

(8)

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

हाऊसिंग फॉर ऑल प्रकोष्ठ (HFA CELL)

तृतीय तल, आई.एस.बी.टी. भवन, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज, भोपाल – 462023

क्र. ____ / एच.एफ.ए. / 2021 भोपाल, दिनांक ____ / ____ / 2021

प्रति,

अपर आयुक्त
झील संरक्षण प्रकोष्ठ,
नगर पालिक निगम, भोपाल।

विषय – **माननीय** एन.जी.टी. (सेन्ट्रल जोन भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.न. 77 / 20, (CZ) मेसर्स आर्या श्रीवास्तव **विरूद्ध** यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के संबंध मे।

संदर्भ – आपके कार्यालय का पत्र क्र. 298 / अ.आ.क. / झी.स.प्र. / न.नि.भो. / 2021 भोपाल दिनांक 14.11.2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है, कि बड़े तालाब के किनारे भदभदा के पास स्थित झुग्गी परिवारों के विस्थापन अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिये जाने हेतु माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 23.11.2021 को बैठक मे निर्देश दिये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत वर्तमान में श्याम नगर, हिनोतिया आलम, मालीखेड़ी, भानपुर एवं कोकता में निर्माणाधीन स्लम ई.डब्ल्यू.एस. आवास रिक्त है। उक्त आवासों हेतु पात्र हितग्राहियों का चयन निरंतर किया जा रहा है तथा प्रति हितग्राही से निर्धारित मार्जिन मनी राशि रू. 20,000/– व शेष हितग्राही अंश की राशि रू. 1,80,000/– बैंक से आवास ऋण लेकर व स्वयं के स्त्रोतों से नगर निगम, भोपाल में जमा करायी जा रही है। भदभदा के किनारे स्थित झुग्गी परिवारों को उक्त आवासीय परियोजनाओं में पात्रता उपरान्त नियमानुसार आवास प्रदाय किया जा सकता है, लेकिन परियोजनाओं में आवासों के सापेक्ष First Deposit, First Choice के आधार पर अन्य झुग्गी–बस्तियों से पर्याप्त हितग्राही प्राप्त हो जाते हैं तथा प्रश्नाधीन झुग्गी परिवारों द्वारा इस अंतराल में पूर्ण राशि जमा नहीं करा पाते हैं, तब इन्हें आवास प्राप्त नहीं हो सकेगा।

उक्त प्रश्नाधीन भदभदा के पास स्थित झुग्गी परिवारों का सर्वे, सत्यापन, हितग्राही चयन, मार्जिन मनी, पूर्ण राशि, फाईल तैयार करना व बैंक लिंकेज इत्यादि की कार्यवाही हेतु संयुक्त सर्वे दल गठित किया जाना होगा। अतः झील संरक्षण प्रकोष्ठ से उक्त समस्त कार्यों हेतु अधिकारी/कर्मचारी नामांकित करने का कष्ट करें, ताकि कार्य को प्रारम्भ किया जा सके।

प्र0 मुख्य अभियंता (एच.एफ.ए.)
नगर पालिक निगम, भोपाल

पृष्ठा क्र. 252 / एच.एफ.ए. / 2021 भोपाल, दिनांक 25 / 11 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर आयुक्त (ए.एफ.ए.) नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री (झील संरक्षण प्रकोष्ठ) नगर निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्र0 मुख्य अभियंता (एच.एफ.ए.)
नगर पालिक निगम, भोपाल

Anx-A-3

(9)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
(झील संरक्षण प्रकोष्ठ)

क्र.................../अधी.यं./न.नि.भो./2021

प्रति, भोपाल दिनांक..................

प्र. मुख्य अभियंता
हाउसिंग फार ऑल
नगर निगम भोपाल

विषय :- माननीय एन.जी.टी. (सेंट्रल जोन भोपाल) के प्रकरण ओ.ए.नं. 77/20 (CZ) मेसर्स आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 252/एच.एफ.ए/2021 भोपाल दिनांक 25/11/2021।

—0—

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि भदभदा के पास स्थित झुग्गी परिवारों का सर्वे, सत्यापन, हितग्राही चयन, मार्जिन मनी, पूर्ण राशि, फाईल तैयार करना व बैंक लिंक के इत्यादि के कार्यवाही हेतु संयुक्त सर्वे दल गठित किये जाने हेतु झील संरक्षण प्रकोष्ठ से श्री सचिन साहू, सहायक यंत्री को नामांकित किया जाता है।

अतः भदभदा के किनारे झुग्गी परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही यथाशीघ्र कराने का कष्ट करें ताकि माननीय एन.जी.टी के निर्देशों का पालन हो सके।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

पृ.क्र. 237 /अधी.यं./न.नि.भो./2021 भोपाल दिनांक 25/11/21

प्रतिलिपि

1. आयुक्त महो. नगर निगम भोपाल की ओर निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन यंत्री झील संरक्षण प्रको. नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री सचिन साहू सहायक यंत्री झील संरक्षण प्रको. नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।

25/11/21
अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

Anx- A-4

(10)

कार्यालय नगर पालिक निगम,भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना

हाऊसिंग फॉर ऑल प्रकोष्ठ (HFA CELL)

तृतीय तल, आई.एस.बी.टी. भवन, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज, भोपाल-462023

क्र. 32/एच.एफ.ए./2021 भोपाल, दिनांक 31/12/2021

प्रतिवेदन

प्रति,

अपर आयुक्त महोदय
एच.एफ.ए. प्रो0
नगर पालिक निगम,भोपाल

प्रभारी मुख्य अभियंता महोदय
एच.एफ.ए. प्रो0
नगर पालिक निगम,भोपाल

आदेश के परिपालन में गठित दल द्वारा भदभदा के समीप स्थित झुग्गी रहवासियों का सर्वे कार्य संपादित किया जाना था। जिसमें झुग्गी रहवासियों का सर्वे किया जाकर सक्षम स्वीकृति उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत चयन कर आवास आवंटित किया जाना था। गठित दल द्वारा सर्वे कार्य किये जाने हेतु जब गठित दल सर्वेक्षित स्थल पर पहुचा तो रहवासियों द्वारा सर्वे कार्य का पूर्ण रूप से विरोध किया गया। व उनके द्वारा यह बताया गया कि यह भूमि बफ्फ वोर्ड से संबंधित है। इस पर नगर निगम का कोई अधिकार नही है, व हमें अपने क्षेत्र का सर्वे नही कराना है। रहवासियों द्वारा दिये गये पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोंक्त बस्ती को न हटाते हुये उसी स्थन पर मकान बनाकर दिया जाये (रहवासियों द्वारा दिये पत्र की प्रतिलिपी प्रतिवेदन के साथ संलग्न है)।

29/12/21 ARI

29/12/21 S/E

29/12/2021

06/01/2022

Anx-A-5

(11)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
हाऊसिंग फॉर ऑल प्रकोष्ठ (HFA CELL)
तृतीय तल, आई.एस.बी.टी. भवन, होशंगाबाद रोड, हबीबगंज, भोपाल -462011

क्र. 57 / एच.एफ.ए. / 2022 भोपाल, दिनांक 12 / 01 / 2022

प्रति,

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

विषय :– बडे तालाब के किनारे भदभदा के पास स्थित झुग्गीयों के विस्थापन के संबंध में।

संदर्भ :– पत्र क्र. 256 / अधी.य. / न.नि.भो. / 2021, भोपाल दिनांक 21 / 12 / 2021

महोदय,

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, अपर आयुक्त महोदय (एच.एफ.ए.) नगर निगम भोपाल के कार्यालयीन आदेश के परिपालन में गठित दल द्वारा बडे तालाब के किनारे भदभदा के पास स्थित झुग्गीयों के सर्वे सत्यापन का कार्य सम्पन्न किया जाना था जिसमें झुग्गी रहवासियो का सर्वे किया जाकर सक्षम स्वीकृती उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजनातंर्गत चयन कर आवास आवंटित किया जाना था। गठित दल जब सर्वेक्षित स्थल पर पहुंचा तो रहवासियो द्वारा सर्वे कार्य का पूर्ण रूप से विरोध किया गया व उनके द्वारा यह बताया गया कि यह भूमि वक्फ बोर्ड से संबंधित है व झुग्गी रहवासियो द्वारा आयुक्त महोदय नगर निगम भोपाल को संबोधित करते हुए एक पत्र भी प्रेषित किया गया है जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है

कृपया वास्तविक स्थिति से अवगत होने का कष्ट करे।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(एच.एफ.ए.)
नगर पालिक निगम, भोपाल

पृ. क्र. ..../ एच.एफ.ए. / 2022 भोपाल, दिनांक....... / .... / 2022

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम, भोपाल की ओर निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त महोदय (एच.एफ.ए.), नगर पालिक निगम, भोपांल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी मुख्य अभियंता
(एच.एफ.ए.)
नगर पालिक निगम, भोपाल

267
13/01/22

Anx- A-6

शिक्षित बनो।   संगठित रहो।   संघर्ष करो।

दलित सेना मध्य प्रदेश
DALIT SENA M.P.

स्व. श्री रामविलास पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संस्थापक लोजपा
दलित सेना

मा. श्री पशुपति कुमार पारस
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा दलित सेना

भास्कर साल्वे
प्रदेशाध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय : 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़ नई दिल्ली-110011
प्रदेश कार्यालय : प्लाट नं. 86, बरखेड़ी खुर्द के पास, भदभदा नई कॉलोनी, केरवा डेम रोड, भोपाल-462044
मो.: 09755285662, 09425666541, E-Mail : bhaskarsalveds@gmail.com

D.S.M.P.D.P.N.BPL 0560   18026/cms/PUB/2021 08/11/2021   दिनांक 04/10/2021

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

DM Bhopal
SO

विषयः-100 वर्ष पुरानी भदभदा के पास स्थित आबादीयों को भू-माफिया के इशारे पर ग्रीन बेल्ट बताते हुए हटाने का प्रयास किया जा रहा है कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम कोटरा सुल्तानाद प.ह.नं.-40 भोपाल के खसरा नंबर-262, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271, 297, 282, 284, 291, 293, 296, 301, 305, 306, 307, के खसरे नंबर उपरोक्त खसरा नंबर निजी भूमि के नंबर है और 1938 से राजस्व अभिलेखों में निजी भूमि के रूप में दर्ज है और उपरोक्त खसरा नंबरों पर पूर्व रियासत भोपाल के समय से आबादी है उक्त भूमियों के सबंध में जिला न्यायालय भोपाल के समक्ष भी प्रकरण क्रमांक-1012ए/2016 विचाराधीन है, जिसमें पेशी दिनांक 27.10.2021 व 311ए/2018 के प्रकरण पेशी दिनांक 12.10.2021 आगामी नियत है।

यह कि कुछ वर्ष पूर्व प्रकरण के विचारण के दौरान नगर निगम भोपाल द्वारा बड़े तालाब की गाद निकालने का बहाना लेते हुए नाले की खुदाई की गई जिससे कि तालाब का पानी आबादीयों/बस्ती के नजदीक आ गया, इस संबंध में पूर्व में भी शिकायतें की गई हैं।

यह कि भू-माफिया गिरोह अनेकों वर्ष से सक्रिय है और उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर की भूमियों को किसी प्रकार से भी हड़पने के उद्देश्य से कार्यवाही करने का षड़यंत्र करते रहे है कुछ व्यक्ति भोज वेट लेण्ड अपर लेक के नाम से माननीय हरित अभिकरण के माध्यम से बिना किसी आधार एन.टी.एल. की गलत व्याख्या करते हुए लोगों को बेदखल करना चाहते हैं और मुस्लिम समाज की दो मस्जिदें जो कि एक मस्जिद मोहम्मदी मस्जिद व मदरसा बना हुआ है जो कि पुराने

....2

शिक्षित बनो । संगठित रहो । संघर्ष करो ।

(13)

दलित सेना मध्य प्रदेश
DALIT SENA M.P.

स्व. श्री रामविलास पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संस्थापक लोजपा
दलित सेना

मा. श्री पशुपति कुमार पारस
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा दलित सेना

भास्कर साल्वे
प्रदेशाध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय : 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़ नई दिल्ली-110011
प्रदेश कार्यालय : प्लाट नं. 86, बरखेड़ी खुर्द के पास, भदभदा नई कॉलोनी, केरवा डेम रोड, भोपाल-462044
मो.: 09755285662, 09425666541, E-Mail : bhaskarsalveds@gmail.com

D.S.M.P.D.P.N.BPL **दिनांक.....................**

भदभदे के लिए जो पुल जाता है उसके करीब है और उक्त मस्जिद का मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पंजीयन क्रमांक 723 पर इंद्राज है और मस्जिद से लगे हुए मकानात खसरा नंबर 291 में हैं 291 में से 3 एकड 50 डेसीमल भूमि वक्फ की गई है जो कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के समक्ष पंजीयन की कार्यवाही विचाराधीन है इस संबंध में मस्जिद कमेटी की ओर से न्यायालय श्रीमान म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर भोपाल, नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा आयुक्त व म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी पक्षकारगण हैं। खसरा नंबर 291 की भूमि शाहेदा बानो के नाम से रिकार्ड में दर्ज है जिसमें कि नोईयत के कालम में आबादी भदभदा कब्रस्तान का इंद्राज है।

यह कि बड़ी मस्जिद आबादी गठाघाट जो कि मस्जिद भदभदे नये पुल के पास स्थित है जिसका कि म.प्र. वक्फ बोर्ड में विधिवत रूप से प्रजीयन क्रमांक 459/537 पर इंद्राज है जिसका कि 24 नवम्बर 1961 को राजपत्र में भी प्रकाशन हुआ है उक्त मस्जिद आजादी से पहले की भोपाल रियासत के समय की बनी हुई है और मस्जिद से लगई हुई ईदगाह व कब्रस्तान है जिसका खसरा नंबर 130, 131 है उक्त खसरा नंबर में कब्रस्तान, मकानात, मस्जिद ईदगाह बनी हुई है जिसमें कि पांचों वक्त की नमाज अदा की जाती है और वक्फिया मकानात के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के भी निजी भूमि पर मकानात बने हुए हैं सम्पूर्ण बस्ती लगभग 100 वर्ष से अधिक समय से आबाद है।

यह कि कोटरा सुल्तानाबाद रोड जो भदभदे को जाता है उक्त रोड पर एक पांच सितारा होटल बनी हुई है उस होटल को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बहुत सारी कार्यवाहियां बस्ती के विरूद्ध पूर्व में भी की गई हैं और वर्तमान में भी लगातार जारी हैं जब कि होटल जिस स्थान पर निर्मित है वह वास्तविक रूप से माननीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित एफ.टी.एल. के दायरे के अंदर निर्मित है।

.....3

दलित सेना मध्य प्रदेश
DALIT SENA M.P.

स्व. श्री रामविलास पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संस्थापक लोजपा दलित सेना

मा. श्री पशुपति कुमार पारस
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा दलित सेना

भास्कर साल्वे
प्रदेशाध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय : 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़ नई दिल्ली-110011
प्रदेश कार्यालय : प्लाट नं. 86, बरखेड़ी खुर्द के पास, भदभदा नई कॉलोनी, केरवा डेम रोड, भोपाल-462044
मो.: 09755285662, 09425666541, E-Mail : bhaskarsalveds@gmail.com

D.S.M.P.D.P.N.BPL **दिनांक.........................**

(3)

यह कि कुछ व्यक्ति माननीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के समक्ष बिना तथ्यों एवं आधारो पर आधारित होकर उपरोक्त वर्णित बस्तियों और मस्जिद के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत कर शहर की शांति व्यवस्था को नुक्सान पहुंचाने तथा भोपाल की गंगा जमनी तहजीब को नुक्सान पहुंचाने का कृत्य कर रहे हैं जब कि माननीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के द्वारा दिये गये पूर्व के आदेश चाहे वह वी.आई.पी. रोड पर निर्माण से संबंधित हो, खानू गांव से संबंधित हो चिरायू हास्पिटल व हमीदिया हास्पिटल और वी.आइ.पी. रोड पर नगर निगम भोपाल द्वारा अनेकों निर्माण ऐसे किये गये हैं जो कि एफ.टी.एल. का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं उन सभी पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है लेकिन उपरोक्त बस्तीयां जो कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाती जन जाती, पिछडे वर्ग के परिवारों के मकानात उपरोक्त बस्तियों में है जिसमें वह एक संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे हैं उक्त मकानों (आशियाने) के अलावा भोपाल महानगर में सर छुपाने के लिए अन्य कोई स्थान उपरोक्त परिवारों के पास नहीं है और उपरोक्त परिवारों की अधिकतर तीसरी या चौथी पीढी वर्तमान स्थान पर निवास कर रही है।

यह कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनेकों अवसरों पर इस प्रकार की घोषणा की गई कि जो व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है अगर आवश्यक होगा तो उसी स्थान पर सरकार मकान बनाकर देगी।

यह कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों, दलित, अनुसूचित जाती, जन जाती, पिछडा वर्ग की जातियों के व्यक्तियों की बस्तीयों को षडयंत्रपूर्वक उजाडने का जो प्रयास किया जा रहा है वह विधि के सिद्धांतों एवं न्यायिक सम्यक प्रक्रिया के विरूद्ध है जब कि कुछ समय से देश, प्रदेश एवं शहर कोविड-19 जैसी विश्वव्यापी बीमारी का सामना कर रहा है और लॉक डाउन के समय से उपरोक्त बस्ति के निवासी जो कि छोटा धंधा करने वाले, कारोबार करने वाले और रोज आजीविका के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों द्वारा विशम परिस्थितियों में अपने आपको जीवित रखा है अगर इस

.....4

संगठित रहो। शिक्षित बनो। संघर्ष करो।

(15)

दलित सेना मध्य प्रदेश
DALIT SENA M.P.

स्व. श्री रामविलास पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संस्थापक लोजपा दलित सेना

मा. श्री पशुपति कुमार पारस
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा दलित सेना

भास्कर साल्वे
प्रदेशाध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय : 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़ नई दिल्ली-110011
प्रदेश कार्यालय : प्लाट नं. 86, बरखेड़ी खुर्द के पास, भदभदा नई कॉलोनी, केरवा डेम रोड, भोपाल-462044
मो.: 09755285662, 09425666541, E-Mail : bhaskarsalveds@gmail.com

D.S.M.P.D.P.N.BPL दिनांक........................

स्थिति में बस्ती को अतिक्रमण के नाम पर एफ.टी.एल. के नाम पर अगर उजाड दिया जायेगा तो समस्त परिवार सडक पर आ जायेंगे न सर छुपाने की कोई जगह होगी ना ही आजीविका को चलाने का कोई साधन होगा इसलिए समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बस्ती के साथ न्याय किया जावे।

अतः माननीय महोदय से करबद्ध अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरात पर स्थित व वक्फिया भूमि जिसका कि पूर्व में उल्लेख किया गया है पर निर्मित मस्जिद, कब्रस्तान और वक्फिया मकान के किरायेदारों और सम्पूर्ण बस्ती के साथ न्याय किया जावे और अकारण भूमाफिया गिरोह को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एवं एफ.टी.एल. के नाम पर ना उजाडा जावे समस्त बस्ती वासी आप महानुभाव के अत्यंत आभारी एवं ऋणि रहेंगे।

दिनांक

भवदीय
(हस्ताक्षर)
भास्कर साल्वे–प्रदेश अध्यक्ष
दलित सेना
मो. 9755285662
(हस्ताक्षर)
मोहम्मद इसहाक खाँ
मो. 9826454760

प्रतिलिपिः–

1. माननीय गृहमंत्री महोदय म.प्र. शासन
2. माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय म.प्र. शासन
3. माननीय आवास एवं पर्यावास मंत्री महोदय, म.प्र. शासन
4. माननीय राजस्व मंत्री महोदय, म.प्र. शासन
5. माननीय प्रभारी मंत्री महोदय (जिला भोपाल) म.प्र. शासन
6. माननीय राज्यमंत्री महोदय स्वतंत्र प्रभार पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र. शासन
7. माननीय सांसद महोदया, लोक सभा सदस्य भोपाल
8. माननीय विधायक महोदय दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र

......5

(16)

दलित सेना मध्य प्रदेश
DALIT SENA M.P.

स्व. श्री रामविलास पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संस्थापक लोजपा दलित सेना

मा. श्री पशुपति कुमार पारस
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा दलित सेना

भास्कर साल्वे
प्रदेशाध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय : 18, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़ नई दिल्ली-110011
प्रदेश कार्यालय : प्लाट नं. 86, बरखेड़ी खुर्द के पास, भदभदा नई कॉलोनी, केरवा डेम रोड, भोपाल-462044
मो.: 09755285662, 09425666541, E-Mail : bhaskarsalveds@gmail.com

D.S.M.P.D.P.N.BPL

दिनांक.........................

(5)

9. श्रीमान मुख्य सचिव महोदय म.प्र. शासन
10. श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय गृह विभाग म.प्र. शासन
11. श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय नगरीय प्रशासन विभाग म.प्र. शासन
12. श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय आवास एवं पर्यावास विभाग म.प्र. शासन
13. श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय राजस्व विभाग म.प्र. शासन
14. श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग म.प्र. शासन
15. माननीय अध्यक्ष महोदय म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग
16. माननीय अध्यक्ष महोदय म.प्र. मानव अधिकार आयोग
17. माननीय अध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाती जन जाती आयोग मध्य प्रदेश राज्य
18. माननीय अध्यक्ष महोदय महिला आयोग म.प्र. राज्य
19. श्रीमान डी.जी.पी. महोदय पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल।
20. श्रीमान आयुक्त महोदय भोपाल सम्भाग भोपाल।
21. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, भोपाल संभाग भोपाल।
22. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला भोपाल।
23. श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय जिला भोपाल।
24. श्रीमान आयुक्त महोदय नगर पालिक निगम भोपाल
25. श्रीमान ए.डी.एम. महोदय शहर भोपाल जिला भोपाल
26. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिण शहर भोपाल।

नोटः— महानुभवों से करबद्ध अनुरोध है कि अनुसूचित जाती, जनजाती, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग समाज के गरीब व्यक्तियों की उपरोक्त बस्तीयों एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की जाकर न्याय प्रदान किया जावे।

भास्कर साल्वे—प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना

मोहम्मद इसहाक खाँ

95
16-11-2021 N.R.

Anx-A-7

कार्यालय कलेक्टर भोपाल
शाखा का नाम.......
CM Monit-C
16 NOV 2021
कलेक्टर / अपर कलेक्टर / ...

(17)

मुख्य मंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल - 462004

क्र.: 18020/CMS/PUB/2021 भोपाल,दिनांक 08/11/2021

प्रति,

कलेक्टर,
भोपाल

विषय: 100 वर्ष पुरानी भदभदा, भोपाल के पास स्थित आबादियों को भू माफियों के इशारे पर ग्रीन बेल्ट बताते हुये हटाने के संबंध में ।

श्री भास्कर साल्वे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित प्राप्त पत्र मूलतः संलग्न है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया आपके कार्यालय के आंतरिक पत्राचार की प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित न करें।

(महिप तेजस्वी)
उप सचिव
मुख्यमंत्री

Anx - A-8

(18)

शिक्षित बनो।　　संगठित रहो।　　संघर्ष करो।

दलित सेना मध्य प्रदेश
DALIT SENA M.P.

स्व. श्री रामविलास पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संस्थापक लोजपा
दलित सेना

मा. श्री पशुपति कुमार पारस
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा दलित सेना

भास्कर साल्वे
प्रदेशाध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय : 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड नई दिल्ली-110011
प्रदेश कार्यालय : प्लाट नं. 86, बरखेड़ी खुर्द के पास, भदभदा नई कॉलोनी, केरवा डेम रोड, भोपाल-462044
मो.: 09755285662, 09425666541, E-Mail : bhaskarsalveds@gmail.com

D.S.M.P.D.P.N.BPL 587　　दिनांक..29/12/2021

प्रति

माननीय कमिशनर महोदय
नगर पालिका निगम भोपाल

विषयः— 100 वर्ष पुरानी भदभदा के पास स्थित आवादियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसी स्थान पर मकान बनाकर दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद प. ह. नं.– 40, भोपाल के खसरा नं. 262, 263, 264, 266, 267, 268, 270, 271, 282, 284, 291, 293, 296, 297, 301, 305, 306, 307 के खसरे नंवरं उपरोक्त खसरा नंबर निजी भूमि के नंबर है और 1938 से राजस्व अभिलेखों में निजी भूमि के रूप दर्ज है और उपरोक्त खसरा नंबरों पर पूर्व रियासत भोपाल के समय से आबादी है उक्त भूमियों के संबंध में जिला व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 भोपाल के समक्ष प्रकरण क्रमांक – 1012ए/2016 एवं 311ए/2018 के प्रकरण विचाराधीन है।

यह कि कुछ वर्ष पूर्व प्रकरण के विचारण के दौरान नगर निगम भोपाल द्वारा बडें तालाव की गाद निकालने का बहाना लेते हुए नाले की खुदाई की गई जिससे कि तालाब का पानी आवादीयों/बस्ती के नजदीक आ गया, इस संबंध में पूर्व में भी तत्कालीन उच्च अधिकारियों एवं नगर निगम कमिशनर भोपाल को शिकायतें की गई है तथा मुस्लिम समाज की दो मस्जिदें जो कि एक मस्जिद मोहम्मदी व मदरसा बना हुआ है जो कि पुराने भदभदे के लिए जो पुल जाता है उसके करीब है और उक्त मस्जिद का मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में पंजीयन क्रमांक– 723 पर इंद्राज है और मस्जिद से लगे हुए मकानात खसरा नंबर 291 में है 291 में से 3 एकड 50 डेसीमल भूमि वक्फ की गई है जो कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के समक्ष पंजीयन की कार्यवही विचाराधीन है इस संबंध में मस्जिद कमेटी की ओर से न्यायालय श्रीमान म. प्र. राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसका प्रकरण क्रमांक

संगठित रहो। संघर्ष करो।

दलित सेना मध्य प्रदेश
DALIT SENA M.P.

स्व. श्री रामविलास पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संस्थापक लोजपा दलित सेना

मा. श्री पशुपति कुमार पारस
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा दलित सेना

भास्कर साल्वे
प्रदेशाध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय : 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़ नई दिल्ली-110011
प्रदेश कार्यालय : प्लाट नं. 86, खरछोड़ी खुर्द के पास, भदभदा नई कॉलोनी, केरवा डेम रोड, भोपाल-462044
मो.: 09755285662, 09425666641, E-Mail : bhaskarsalveds@gmail.com

D.S.M.P.D.P.N.BPL

दिनांक.........................

ए 54/2018 है। जिसमें कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला कलेक्टर भोपाल, नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा आयुक्त व म. प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी पक्षकारगण है। खसरा नंबर 291 की भूमि शाहेदा बानों के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें कि नोईयत के कालम में आबादी भदभदा कब्रस्तान का इंद्राज है। लेकिन उपरोक्त बस्तीयां जो कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति जन जाति, पिछड़ें वर्ग के परिवारों के मकानात उपरोक्त बस्तियों में है जिसमें वह एक संघर्षपूर्ण

जीवन जी रहे है और उपरोक्त परिवारों की अधिकतर तीसरी या चौथी पीढ़ी वर्तमान स्थान पर निवास कर रही है।

जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जातियों के व्यक्तियों की बस्तीयों को षडयंत्रपूर्वक उजाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है वह विधि के सिद्धांतों एवं न्यायिक सम्यक् प्रक्रिया के विरूद्ध है।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनेकों अवसरों पर इस प्रकार की घोषणा की गई कि जो व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है अगर आवश्यक होगा तो उसी स्थान पर सरकार मकान बनाकर देगी।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त बस्ती वाले का न हटाते हुए उसी स्थान पर मकान बनाकर देने का कष्ट करें। बस्ती के सभी रहवासीगण आपके सदैव आभारी रहेगें।

धन्यवाद

संलग्न
① जिला न्यायालय भोपाल वर्ग-2 की छायाप्रति
② वक्फ बोर्ड म.प्र. इंकित प्रकरण की छायाप्रति
③ 10 पेज हस्ताक्षर सहित निवासीगण

हस्ताक्षर.
भदभदा वस्ती निवासीगण भोपाल

भवदीय
भास्कर साल्वे-प्रदेश अध्यक्ष
दलित सेना मध्य प्रदेश

(2 पेज)
29/12/2021

संगठित रहो । ... बनो । संघर्ष करो ।

(20)

दलित सेना मध्य प्रदेश
DALIT SENA M.P.

स्व. श्री रामविलास पासवान
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संस्थापक लोजपा दलित सेना

मा. श्री पशुपति कुमार पारस
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार
राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा दलित सेना

भास्कर साल्वे
प्रदेशाध्यक्ष

केन्द्रीय कार्यालय : 1B, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड़ नई दिल्ली-110011
प्रदेश कार्यालय : प्लाट नं. 86, बरखेड़ी खुर्द के पास, भदभदा नई कॉलोनी, केरवा डेम रोड, भोपाल-462044
मो.: 09755285662, 09425666541, E-Mail : bhaskarsalveds@gmail.com

D.S.M.P.D.P.N.BPL

दिनांक.................

		जरीना बी	जरीना
		रेहाना बी	रेहाना
शिवा रवेरे	शिवा रवेरे	मो. सलीम	सलीम
राजू रवेरे	राजू रवेरे	रुखसाना खान	रुखसाना
नवनीत रवेरे	नवनीत रवेरे	फरीदा बी	फरीदा
[illegible]	श्यामलाल रवेरे	फरहीन खान	फरहीन
अंकित रवेरे	अंकित रवेरे	फिरोज बी	
	अनीता रवेरे	अख्तर खान	अख्तर
दिपक	दीपक रवेरे	सिमरन बानो	सिमरन
चुन्नीलाल	चुन्नीलाल रवेरे	शीबा बानो	शीबा
		आफरीन बी	अफरीन
Sajid Khan	साजिद खान	शाहजहाँ बानो	शाहजहाँ
		असद खान	ASAD
माजिद खान	माजिद खान	रुबीना खान	रुबीना
[illegible]	सुनील रवेरे	उमरा बी	उमरा
रेखा	रेखा रवेरे	जाहिद खान	जाहिद
सिशांत	सिशांत रवेरे	राहत बी	राहत
Rehnuma	रेहनुमा खान	रफत बी	रफत
		[illegible]	[illegible]
Sanakhan	सना खान	सूफिया	
Alfiya	अलफिया खान	साबिरा बी	साबिरा
[illegible]	जावेद खान		[illegible]
[illegible]	महताब बी	[illegible] बी	[illegible]
[illegible]	मो. अरशद	[illegible] बी	[illegible]
[illegible]	मो. [illegible]		

कार्यालय कलेक्टर जिला–भोपाल म.प्र.

ANX - A-9 (21)

क्रमांक /5455/ शिकायत / 2021 भोपाल,दिनांक 31 / 12 / 2021

प्रति,

आयुक्त,
नगर निगम
जिला भोपाल

विषय :– 100 वर्ष पुरानी भदभदा ,भोपाल के पास स्थित आबादियों को भू माफियों के इशारे पर ग्रीन बेल्ट बताते हुये हटाने के संबध मे।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य प्रदेश मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से प्राप्त पत्र क्र0 18020 / एस.एम एस. / पी.यू.वी. / 2021, दिनांक 8 / 11 / 2021 का अवलोकन करे। आवेदक द्वारा 100 वर्ष पुरानी भदभदा ,भोपाल के पास स्थित आबादियों को भू–माफियों के इशारे पर ग्रीन बेल्ट बताते हुये हटाने के संबध मे शिकायत की है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र आपकी ओर प्रेषित की जाती है।

प्रभारी अधिकारी,
वास्ते कलेक्टर,भोपाल

पृ. क्रमांक / शिकायत / 2021 भोपाल,दिनांक / 12 / 2021

प्रतिलिपि–

1–आवेदक ....जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
वास्ते कलेक्टर,भोपाल

Anx-A-10

(22)

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
(अपर आयुक्त कक्ष)

क्र. 313 /अ.आ.क./न.नि.भो./2022 भोपाल दिनांक 20/1/2022

प्रति,

प्रभारी अधिकारी
वास्ते कलेक्टर
जिला भोपाल

विषय :– 100 वर्ष पुरानी भदभदा भोपाल के पास स्थित आबादियों को भू–माफियों के इशारे पर ग्रीन बेल्ट बताते हुये हटाने के संबंध में।

संदर्भ :– कलेक्टर कार्यालय का पत्र कमांक 5455/शिकायत/2021/ भोपाल दिनांक 31.12.2021।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि दलित सेना प्रदेशाध्यक्ष श्री भास्कर साल्वे एवं मोहम्मद ईशाक खान द्वारा पत्र कमांक 0560 दिनांक 04.10.2021 में उल्लेखित ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद प.ह.न. 40, खसरा नंबर 262 ,263 ,264 ,266 ,26, 268, 270, 271, 297, 282, 284, 291, 293 ,296, 301, 305, 306, 307, 130, 131 एवं 292 के खसरे पर निजी भूमि होने एवं भू–माफियाओं के इशारे पर 100 वर्ष पुरानी आबादी को हटाने का उल्लेख किया गया है। उक्त संबंध में लेख है कि यह सत्य नही है कि किसी भू–माफियाओं के इशारें पर आबादी को हटाया जा रहा है अपितु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्राधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.एन. कमांक 77/20 (CZ) मेसर्स आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश के परिपालन में बड़े तालाब के किनारें तालाब के संधारण एवं संवर्धन के दृष्टिगत भदभदा के पास स्थित झुग्गियों के विस्थापन कार्य किया जाना है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र के संबंध में भू स्वामित्व से संबंधित जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त भोपाल को पत्र के माध्यम से जानकारी चाही गई है।

तदानुसार वांछित जानकारी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर आयुक्त
नगर निगम भोपाल

o/c

भोपाल दिनांक 20/1/2022

पृ क्र. 314 /अ.आ.क./न.नि.भो./2022

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय जिला भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त (अतिक्रमण शाखा) नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री झील संरक्षण प्रकोष्ठ नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर निगम भोपाल

कार्यालय कलेक्टर आवक

Anx-A-11

22A

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल
(झील संरक्षण प्रकोष्ठ)

क्र................./अ.यं./न.नि.भो./2022 भोपाल दिनांक...................

प्रति,

प्रदेश अध्यक्ष
दलित सेना म.प्र.
प्लाट नं. 86 बरखेड़ी खुर्द के पास
भदभदा नई कालोनी केरवां डेम रोड –462044
भोपाल म.प्र.

विषय :– 100 वर्ष पुरानी भदभदा भोपाल के पास स्थित आबादियों को भू–माफियों के इशारे पर ग्रीन बेल्ट बताते हुये हटाने के संबंध में।

संदर्भ :–1. कलेक्टर कार्यालय का पत्र कमांक 5455/शिकायत/2021/ भोपाल दिनांक 31.12.2021।

2. आपका पत्र कमांक 560 भोपाल दिनांक 04.10.2021 ।

––0––

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र कमांक 560 दिनांक 04.10.2021 अनुसार ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद प.ह.न. 40, खसरा नंबर 262 ,263 ,264 ,266 ,26, 268, 270, 271, 297, 282, 284, 291, 293 ,296, 301, 305, 306, 307, 130, 131 एवं 292 के खसरे पर निजी भूमि होने एवं भू–माफियाओं के इशारे पर 100 वर्ष पुरानी आबादी को हटाने का उल्लेख किया गया है। उक्त संबंध में लेख है कि यह सत्य नही है कि किसी भू–माफियाओं के इशारें पर आबादी को हटाया जा रहा है अपितु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्राधिकरण में प्रचलित प्रकरण क. ओ.एन. क्रमांक 77/20 (CZ) मेसर्स आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश के परिपालन में बड़े तालाब के किनारें तालाब के संधारण एवं संवर्धन के दृष्टिगत भदभदा के पास स्थित झुग्गियों के विस्थापन कार्य किया जाना है।

आपके द्वारा संदर्भित पत्र में उल्लेखित खसरों के स्वामित्व से संबंधित जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी टी.टी. नगर वृत्त भोपाल को पत्र कमांक 316/अ.आ. क./न.नि.भो./2022 दिनांक 20.01.2022 अनुसार जानकारी चाही गई है।

तदानुसार जानकारी आपकी ओर प्रेषित है।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

पृ क्र....488..../अ.यं./न.नि.भो./2022 भोपाल दिनांक....24/01/22

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय जिला नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।

अधीक्षण यंत्री
झील संरक्षण प्रकोष्ठ
नगर निगम भोपाल

Anx-A-12

23

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

(अपर आयुक्त कक्ष)

भोपाल दिनांक.....................

क्र...................../अ.आ.क./न.नि.भो./2022

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
टी.टी. नगर वृत्त,
भोपाल म.प्र.

विषय :- 100 वर्ष पुरानी भदभदा भोपाल के पास स्थित आबादियों को भू-माफियों के इशारे पर ग्रीन बेल्ट बताते हुये हटाने के संबंध में।

संदर्भ :- कलेक्टर कार्यालय का पत्र क्रमांक 5455/शिकायत/2021/ भोपाल दिनांक 31.12.2021।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्राधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्र. ओ.एन. क्रमांक 77/20 (CZ) मेसर्स आर्या श्रीवास्तव विरूद्ध यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश के परिपालन में बड़े तालाब के किनारें तालाब के संरक्षण एवं संवर्धन के दृष्टिगत भदभदा के पास स्थित झुग्गियों का विस्थापन कार्य किया जाना है। माननीय एन.जी.टी. के निर्देशानुसार कार्यालय हाउसिंग फार ऑल (एच.एफ.ए) नगर निगम भोपाल द्वारा सर्वे कार्य हेतु टीम गठित की गई, गठित टीम द्वारा झुग्गियों का सर्वे कार्य किया गया किंतु क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा न तो सहयोग प्रदान किया गया और न ही भूमि/झुग्गी संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध कराये गये।

दलित सेना प्रदेशाध्यक्ष श्री भास्कर साल्वे एवं मोहम्मद ईशाक खान द्वारा पत्र क्रमांक 0560 दिनांक 04.10.2021 में उल्लेखित ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद प.ह.न. 40, खसरा नंबर 262 ,263 ,264 ,266 ,26, 268, 270, 271, 297, 282, 284, 291, 293 ,296, 301, 305, 306, 307, 130, 131 एवं 292 के खसरे पर निजी भूमि दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।

अतः कृपया उक्त खसरों के स्वामित्व संबंधी जानकारी (राजस्व रिकार्ड अनुसार) इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाकर माननीय एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन भोपाल को की गई कार्यवाही से अवगत कराया जा सके।

अपर आयुक्त
नगर निगम भोपाल

भोपाल दिनांक 20/1/2022

पृ क्र. 316 /अ.आ.क./न.नि.भो./2022

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. आयुक्त नगर निगम भोपाल की ओर उनके निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त (अतिक्रमण शाखा) नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण यंत्री झील संरक्षण प्रकोष्ठ नगर निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर निगम भोपाल

o/c

21/1/22

Anx- A-13

(24)

Bairagarh-1 Pumping

(26)

Neelbad - STP

Sankhedi STP

29

Maholi Damkheda STP

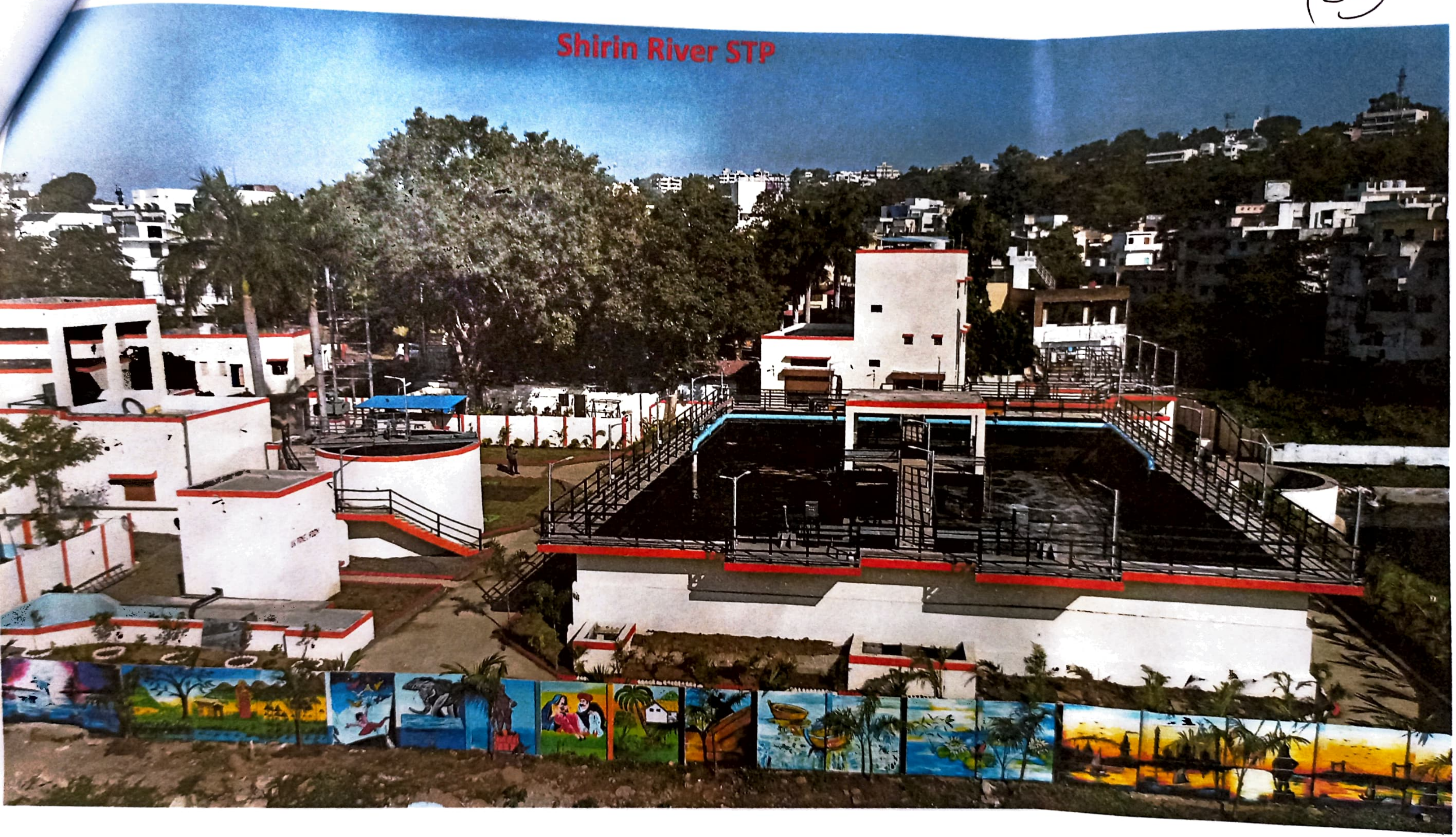
Shirin River STP

Char Imli - STP

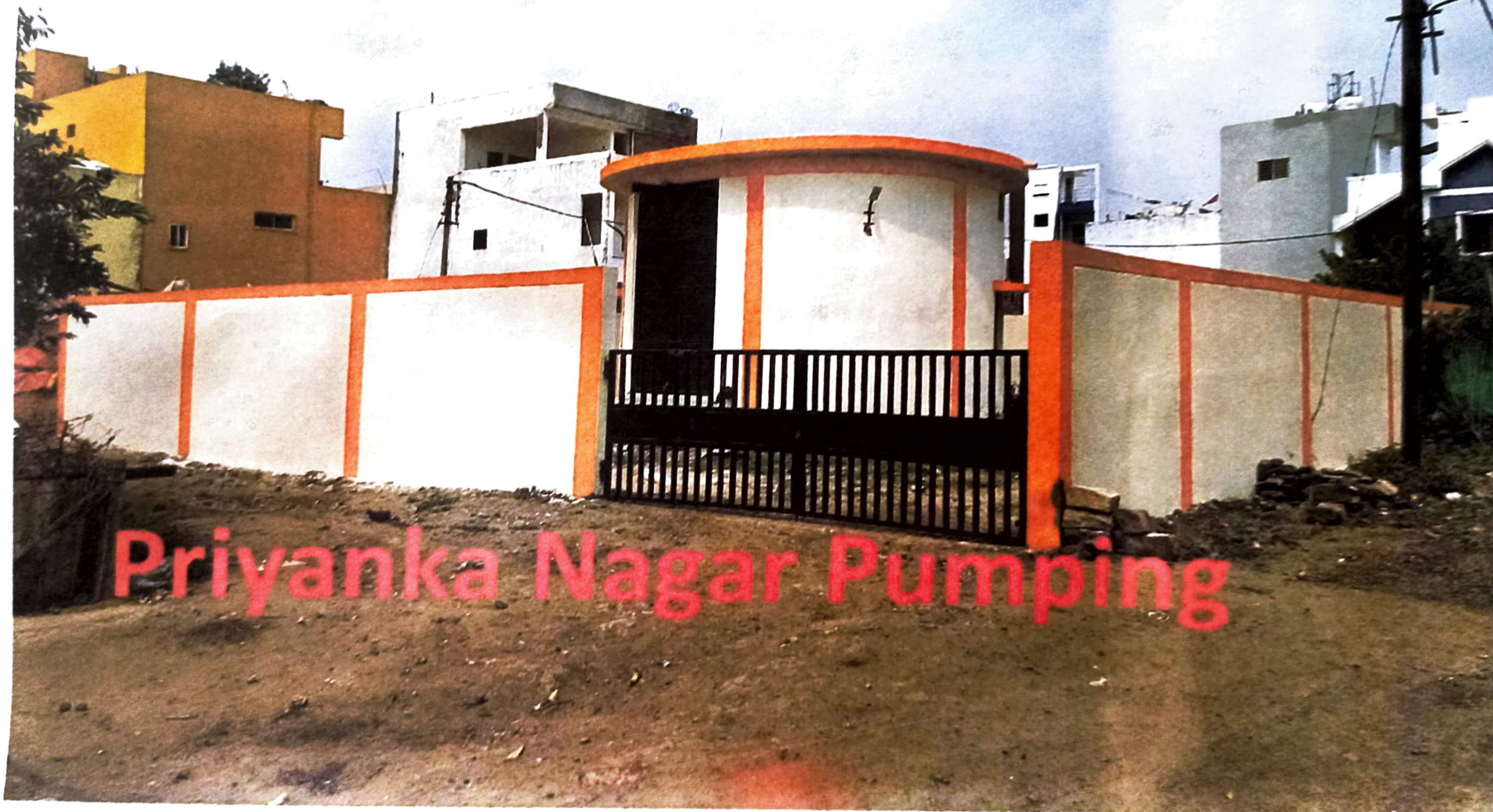
Priyanka Nagar Pumping

Bawadiya kala Pumping

JK Hospital
Pumping
34

Maksi STP

25

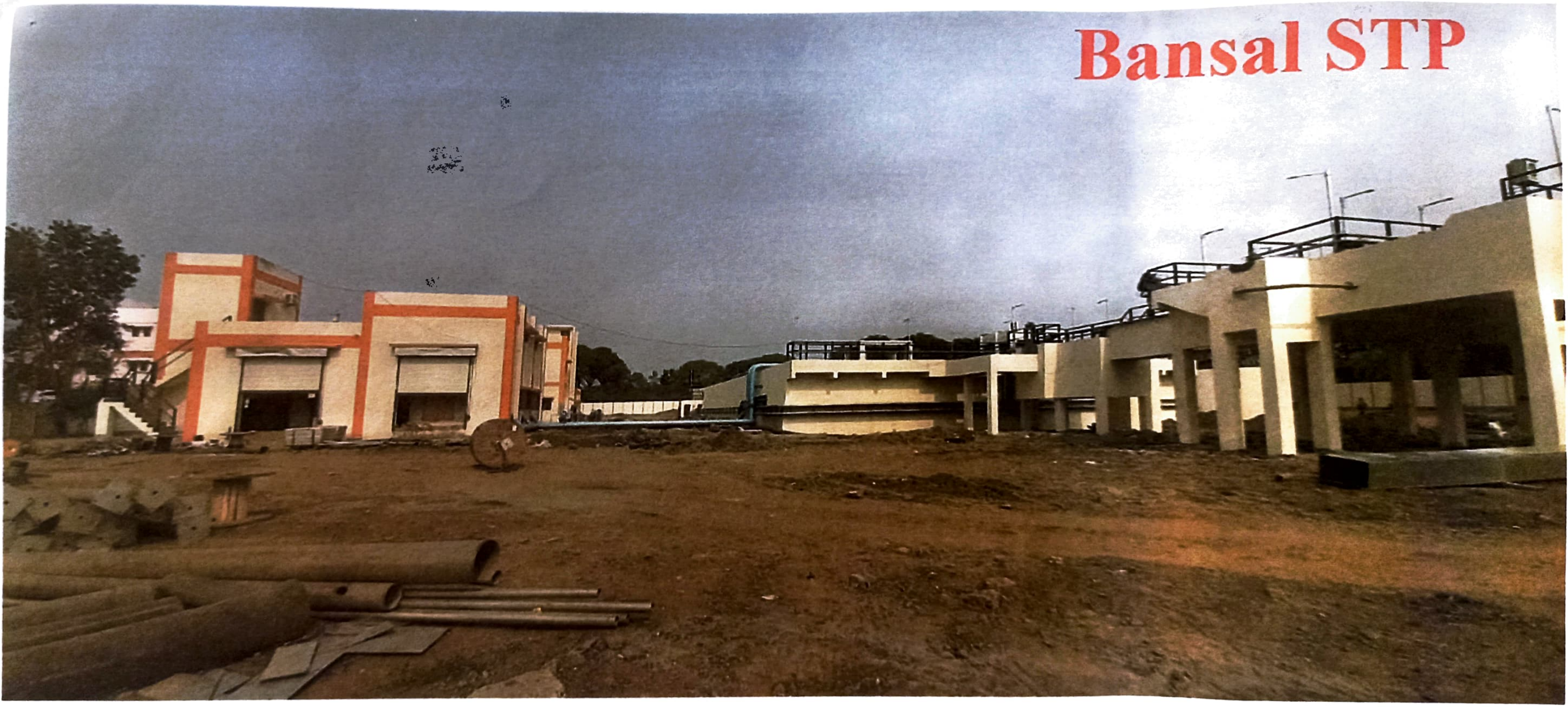
Bansal STP

Professor colony STP,
Lower lake

37